

## बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा आईटी नियम 2023 को रद्द किया जाना

### प्रारंभिक परीक्षा के लिये:

सुचना प्रौद्योगिकी संशोधन नियम, 2023, फैक्ट चेक यूनिट (FCU), अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), अनुच्छेद 19 (भाषण एवं अभियक्ति की स्वतंत्रता) और 19 (1) (g) (व्यवसाय की स्वतंत्रता और अधिकार), स्व-नियामक नियम (SRB), आईटी अधनियम, 2000 की धारा 79।

### मुख्य परीक्षा के लिये:

सुचना प्रौद्योगिकी संशोधन नियम 2023 का आलोचनात्मक विश्लेषण।

स्रोत: द हिंदू

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुचना प्रौद्योगिकी नियम, 2023 को रद्द कर दिया है, जो केंद्र सरकार को सोशल मीडिया पर फरजी, झूठी और भ्रामक सूचनाओं की पहचान करने के लिये फैक्ट चेक यूनिट (FCU) स्थापित करने का अधिकार देता था।

### FCU के संबंध में उच्च न्यायालय की टिप्पणी?

- सुचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दशानियोगिता और डिजिटल मीडिया आचार संहति) संशोधन नियम, 2023 के द्वारा संवधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), अनुच्छेद 19 (भाषण और अभियक्ति की स्वतंत्रता) और 19(1)(g) (व्यवसाय की स्वतंत्रता और अधिकार) का उल्लंघन होता है।
- फरजी या भ्रामक समाचार की परभिषा असपष्ट बनी हुई है, इसमें स्पष्टता और सटीकता का अभाव है।
- कानूनी रूप से स्थापित "सत्य के अधिकार" के अभाव में राज्य यह सुनिश्चित करने के लिये बाध्य नहीं है कि नागरिकों को केवल वही जानकारी उपलब्ध कराई जाए जसे फैक्ट चेक यूनिट (FCU) द्वारा सटीक माना गया हो।
- इसके अतिरिक्त ये उपाय आनुपातिकता के मानक को पूरा करने में वफिल रहे हैं।

### फेक न्यूज़ के बारे में मुख्य तथ्य

- राष्ट्रीय अपराध रकिंग बयरो (NCRB) के अँकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में फेक न्यूज़ के कुल 1,527 मामले दर्ज किये गए, जो 214% की वृद्धिदर्शाते हैं (वर्ष 2019 में 486 मामले और वर्ष 2018 में 280 मामले दर्ज किये गए थे)।
- पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट ने नवंबर 2019 में अपनी स्थापना के बाद से फेक न्यूज़ के 1,160 मामलों को खारज किया है।

### फैक्ट चेक यूनिट (FCU) क्या है?

- परिचय:** FCU भारत सरकार से संबंधित फेक न्यूज़ के प्रसार को रोकने और उसका समाधान करने के लिये एक आधिकारिक नियम है।
  - इसका प्राथमिक कार्य तथ्यों की पहचान करना और उनका सत्यापन करना है तथा सार्वजनिक संवाद में सटीक जानकारी का प्रसार सुनिश्चित करना है।
- FCU की स्थापना:** अप्रैल 2023 में MeitY ने सुचना प्रौद्योगिकी नियम, 2023 में संशोधन करके फैक्ट-चेक यूनिट (FCU) की स्थापना की थी।
- कानूनी मुद्दा:** मार्च 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रेस सुचना बयुरो के तहत फैक्ट-चेक यूनिट (FCU) की स्थापना पर रोक लगा दी।
  - सरकार ने FCU का पक्ष लिया, क्योंकि इसका उद्देश्य फेक न्यूज़ के प्रसार को रोकना है और यह फेक न्यूज़ से नपिटने के लिये सबसे कम प्रतिबंधात्मक उपाय है।
- अनुपालन और परिणाम:** FCU द्वारा संबंधित विषय-वस्तु पर नियन्त्रण लिया जाएगा तथा इसके नियन्त्रणों का अनुपालन करने में मध्यस्थियों की वफिलता के परिणामस्वरूप आईटी अधनियम, 2000 की धारा 79 के तहत सुरक्षित हार्वर प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिये कार्रवाई की जा सकती

है।

## सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन नियम, 2023 क्या है?

- परचियः
  - ये नियम सूचना प्रौद्योगिकी अधनियम, 2000 द्वारा प्रदत्त शक्तयों के अंतर्गत स्थापति किया गए थे।
  - यह नियम सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ देशनरिदेश) नियम, 2011 का स्थान लेगा।
- मध्यस्थों का उचित उत्तरदायतिवः
  - मध्यस्थों को अपने प्लेटफॉर्म पर नियम, वनियम, गोपनीयता नीतियाँ और उपयोगकर्ता समझौतों को प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा।
  - मध्यस्थों को अश्लील, अपमानजनक या भ्रामक जानकारी सहित गैर-कानूनी सामग्री के प्रकाशन को रोकने के लिये कदम उठाने चाहयि।
  - उपयोगकर्ताओं की शक्तियों को निपटाने के लिये मध्यस्थों द्वारा शक्तियात निवारण तंत्र स्थापति किया जाना चाहयि।
- प्रमुख मध्यस्थों के लिये अतिरिक्त उत्तरदायतिवः
  - प्रमुख सोशल मीडिया मध्यस्थों को एक मुख्य अनुपालन अधिकारी और एक शक्तियात अधिकारी नियुक्त करना होगा।
  - इन मध्यस्थों को शक्तियों और की गई कार्रवाई सहित मासिक अनुपालन की रपोर्ट देनी होगी।
- शक्तियात निवारण तंत्रः
  - मध्यस्थों को 24 घंटे के अंदर शक्तियों की पावती देनी होगी तथा 15 दिनों के अंदर उनका समाधान करना होगा।
  - गोपनीयता का उल्लंघन करने वाली या हानकारक सामग्री वाली सामग्री से संबंधित शक्तियों का समाधान 72 घंटों के अंदर किया जाना चाहयि।
- प्रकाशकों के लिये आचार संहतिः
  - समाचार और ऑनलाइन सामग्री के प्रकाशकों को आचार संहति का पालन करना होगा तथा यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित सामग्री से भारत की संप्रभुता के साथ कसी मौजूदा कानून का उल्लंघन न हो।
- ऑनलाइन गेम्स का वनियमनः
  - ऑनलाइन गेम्स मध्यस्थों को जीत और उपयोगकर्ता पहचान सत्यापन के बारे में वसितृत नीतियाँ बनानी होंगी।
  - वास्तविक धन वाले ऑनलाइन गेम को सव-नियमक निकाय द्वारा सत्यापति किया जाना चाहयि।
- सब -नियमक निकाय (SRB) को एक ऐसे संगठन के रूप में परभाषित किया गया है जिसे डिजिटल मीडिया और मध्यस्थों के लिये नैतिक मानकों, देशनरिदेशों और सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुपालन की निगरानी एवं प्रवरतन के लिये स्थापति किया गया है।

नोटः

- मध्यस्थः मध्यस्थ ऐसी संस्थाएँ हैं जो इंटरनेट पर सामग्री या सेवाओं के प्रसारण या होस्टिंग की सुवधा प्रदान करती हैं। ये उपयोगकर्ताओं और इंटरनेट के बीच संचार माध्यम के रूप में कार्य करती हैं, जिससे सूचनाओं का आदान-प्रदान संभव होता है। उदाहरण के लिये:
  - सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (जैसे, फेसबुक, ट्विटर)
  - ई-कॉमर्स वेबसाइटें (जैसे, अमेज़न, फ्लिपकार्ट)
  - सरच इंजन (जैसे, गूगल)
  - इंटरनेट सेवा प्रदाता (ISP)
  - क्लाउड सेवा प्रदाता
- प्रमुख मध्यस्थः इन्हें व्यापक उपयोगकर्ता आधार और सार्वजनिक संवाद पर अधिक प्रभाव के आधार पर परभाषित किया जाता है।
  - आईटी नियम, 2021 के तहत भारत में 5 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं वाले मध्यस्थों को प्रमुख मध्यस्थों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अपनी व्यापक पहुँच के कारण इन्हें अतिरिक्त नियमक आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है।

## संशोधन आईटी नियम, 2023 से संबंधित प्रमुख चिताएँ क्या हैं?

- सेंसरशपी और अभियक्तिकी स्वतंत्रता: माना जाता है कि इन नियमों द्वारा सरकार को फेक या भ्रामक सामग्री को हटाने का नियंत्रण देने में सक्षम बनाकर वाक् एवं अभियक्तिकी स्वतंत्रता के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है।
- स्पष्टता का अभावः फेक और भ्रामक शब्दों को अभी भी ठीक से परभाषित नहीं किया गया है, जिससे इनकी मनमाने ढंग से व्याख्या और प्रवरतन के बारे में चिताएँ पैदा होती हैं।
- अत्यधिक सरकारी नियंत्रणः पीआईबी के अंतर्गत FCU की स्थापना से सूचना प्रसार के क्षेत्र में अत्यधिक सरकारी निगरानी की आशंका पैदा होती है, जिससे स्वतंत्र मीडिया और नागरिक समाज की भूमिका कमज़ोर होती है।
- मध्यस्थों पर प्रभावः सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं पर सरकारी नियंत्रणों का पालन करने के लिये अनुचित दबाव पड़ सकता है यदि वे अनविार्य रूप से संबंधित सामग्री को हटाने में वफिल रहते हैं, तो उनकी सुरक्षित हार्दिक स्थिति को खतरा हो सकता है, जिससे सव-सेंसरशपी की स्थितिहो सकती है।
- जवाबदेही में कमी आना: ये नियम सरकार की जवाबदेही को कम कर सकते हैं क्योंकि FCU का उपयोग पारदर्शी तथ्य-जाँच के बजाय

- आलोचना को दबाने के लिये एक उपकरण के रूप में कथिता जा सकता है।
- कंटेंट नरिमाताओं पर नकारात्मक प्रभाव: कंटेंट नरिमाता सरकार की ओर से होने वाले नकारात्मक प्रभाव के डर से स्वयं पर संसरणित लगा सकते हैं, जिससे रचनात्मकता और खुले संवाद में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
- न्यायिक निगरानी का अभाव: FCU द्वारा लिये गए नियमों के लिये स्पष्ट और स्वतंत्र न्यायिक समीक्षा प्रक्रिया के अभाव से अनियंत्रित प्राधिकार और सत्ता के दुरुपयोग को बढ़ावा मिल सकता है।

## आगे की राह

- स्वतंत्र निगरानी को सुदृढ़ बनाना: FCU के संचालन की निगरानी के लिये एक स्वतंत्र नियमित निकाय की स्थापना करना, इसकी जवाबदेही सुनिश्चित करना और सरकारी हस्तक्षेप की संभावना को कम करना आवश्यक है।
- न्यायिक समीक्षा तंत्र: FCU द्वारा लिये गए नियमों के लिये मज़बूत न्यायिक समीक्षा प्रक्रियाओं को लागू करना चाहिये जिससे व्यक्तियों और संगठनों को नियमित एवं समयबद्ध तरीके से सामग्री हटाने के आदेशों को चुनौती देने का अवसर मिल सके।
- अभियक्तिकी स्वतंत्रता का संरक्षण: मौलिक स्वतंत्रता को उल्लंघन को रोकने एवं मुक्त भाषण के अधिकार को बनाए रखने की प्रतिविवरण पर ध्यान देना चाहिये।
- हतिधारकों के साथ सहभागिता: डिजिटल अधिकार संगठनों, मीडिया संस्थाओं और नागरिक समाज सहित हतिधारकों के साथ सहयोगात्मक संवाद को बढ़ावा देना चाहिये, ताकि ऐसे नियम विकसित किये जा सकें जो लोक एवं व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करें।
- आवधिक समीक्षा और अनुकूलन: उभरते डिजिटल परदृश्यों के अनुकूल होने और फेक न्यूज़ तथा डिजिटल अधिकारों से संबंधित उभरती चुनौतियों का समाधान करने के लिये आईटी नियमों की आवधिक समीक्षा हेतु सुपरेक्षा बनानी चाहिये।
- डिजिटल अधिकार संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करना: डिजिटल अधिकार संरक्षण उपायों को व्यापक कानूनी ढाँचे के साथ एकीकृत करने के साथ यह सुनिश्चित करना चाहिये कि डिजिटल संचार के संदर्भ में विनियमन से उपयोगकर्ता अधिकार मज़बूत हो सके।

### दृष्टिमुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में अभियक्तिकी स्वतंत्रता और डिजिटल अधिकारों पर संशोधन आईटी नियम, 2023 के प्रभावों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये।

### UPSC सविलि सेवा परीक्षा, विभिन्न वर्ष के प्रश्न पत्र

#### ????????????:

प्रश्न. भारत में, साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रपिरेट करना नियन्त्रित किया जाता है? (2017)

1. सेवा प्रदाता (सर्वसि प्रोवाइडर)
2. डेटा सेंटर
3. कॉर्पोरेट निकाय (बॉडी कॉर्पोरेट)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

#### ?????????:

Q. साइबरडोम प्रोजेक्ट क्या है? यह भारत में इंटरनेट संबंधी अपराधों को नियंत्रित करने में किसी प्रकार उपयोगी हो सकता है। (2019)

Q. लोक जीवन में 'ईमानदारी' से आप क्या समझते हैं? वर्तमान समय में इसे व्यवहार में लाने में कौन सी जटिलताएँ आती हैं? इन जटिलताओं का समाधान किसी प्रकार किया जा सकता है? (2014)